

राजस्व अनुवृत्ति पत्र

रा0मा0क0 202207090700030अ-62 वर्ष 2021-22

(1)	(2)	(3)
30 / 5 / 2025	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण का आनलाईन ई-कोर्ट में लंबित होने से प्रकरण अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि मूल प्रकरण वर्तमान में इस न्यायालय में उपलब्ध नहीं है । ई-कोर्ट में प्रकरण अनावश्यक रूप लंबित है । चूंकि वर्तमान में वृक्ष कटाई नियम 2022 प्रभावशील है । ऐसी स्थिति में आवेदक वृक्ष कटाई नियम 2022 में दर्शित प्रावधानों के तहत विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । ई-कोर्ट में लंबित प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी राजनादगाव (छ.ग.) राजनादगाव (छ.ग.)	